सं.क-20021/4/2018-प्रशा.II-क
भारत सरकार
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
केंद्रीय संचार ब्यूरो
*****

तृतीय तल, सूचना भवन,
नई दिल्ली, दिनांकित: जुलाई, 2025

<u>कार्यालय ज्ञापन</u>

विषय: केंद्रीय संचार ब्यूरो में सहायक लेखा अधिकारी (एएओ) के एक (01) पद को प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरने के संबंध में।

केंद्रीय संचार ब्यूरो, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में 7वें वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के लेवल-08 में **सहायक लेखा अधिकारी (एएओ)** के पद के लिए केंद्र सरकार के अधीन पात्र और इच्छुक अधिकारियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, जिन्हें शुरू में तीन वर्ष की अवधि के लिए **प्रतिनियुक्ति के आधार पर** भरा जाएगा। पद और पात्रता के मानदंड का विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

2. अनुरोध है कि ऐसे इच्छुक एवं पात्र अधिकारियों, जिन्हें चयन होने पर तत्काल कार्यमुक्त किया जा सकता है उनके आवेदन (चार प्रतियों में), **अनुलग्नक-II में दिए गए निर्धारित प्रपत्र में सतर्कता अनापत्ति प्रमाण-पत्र, सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र, पिछले 5 वर्षों की अद्यतन वार्षिक कार्य-निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) तथा कैडर अनापत्ति के साथ एंप्लॉयमेंट न्यूज/रोजगार समाचार में इस विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर उप निदेशक (प्रशासन), कमरा संख्या 354, तृतीय तल, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 को भेज दिए जाएं।**

3. केवल ऐसे अधिकारियों/अभ्यर्थियों के आवेदनों पर विचार किया जाएगा जो उचित माध्यम से भेजे गए हैं और जिनके साथ **(i) अनुलग्नक II में दिए गए प्रोफार्मा में बायोडाटा (चार प्रतियों में) और (ii) कैडर अनापत्ति संलग्न है।**

4. अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन या निर्धारित दस्तावेजों के बिना या अन्यथा अपूर्ण पाए जाने पर या निर्धारित प्रपत्र में नहीं पाए जाने पर आवेदन अस्वीकृत किए जा सकते हैं। उक्त पद पर चयन होने की स्थिति में अधिकारियों को बाद में अपनी उम्मीदवारी वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

5. आवेदन पत्र अग्रेषित करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी को यह प्रमाणित करना होगा कि आवेदक द्वारा दी गई सूचना का उसके सेवा अभिलेखों से सत्यापन कर लिया गया है तथा वह सही पाई गई है, तथा उन्हें कार्यालय की मुहर सहित आवेदन पत्र पर प्रतिहस्ताक्षर भी करना होगा। यह भी पुष्टि की जा सकती है कि नियुक्ति के लिए चयन होने की स्थिति में संबंधित अधिकारी को उसके कार्य से मुक्त कर दिया जाएगा।

(हर्षित नारंग)
उप निदेशक (प्रशासन)
दूरभाष: 24369533

प्रतिलिपि:-

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग । (ई-एचआरएमएस के माध्यम से)
2. उपसचिव (एमयूसी-II), सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय , शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
3. सभी अपर महानिदेशक (प्रादेशिक), सीबीसी, प्रादेशिक कार्यालय: उनके अधीन सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में इस कार्यालय ज्ञापन के परिचालन के अनुरोध सहित।
4. सीबीसी के सभी अनुभाग (मुख्यालय)।
5. एनआईसी सेल : सीबीसी की वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु।
6. सहायक निदेशक, अभियान खंड, सीबीसी, सूचना भवन: इस अनुरोध के साथ कि कार्यालय ज्ञापन को "रोजगार समाचार" के अगले अंक में प्रकाशित किया जाए। यह भी अनुरोध है कि प्रकाशन की तारीख से इस अनुभाग को अवगत कराने की कृपा करें।
7. सूचना पट्ट ।

114

अनुलग्नक-I

1.	पदनाम	सहायक लेखा अधिकारी (ए.ए.ओ.)
2.	पदों की संख्या	01(एक)
3.	नियुक्ति का स्थान	नई दिल्ली
4.	वर्गीकरण	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह- ख , राजपत्रित, अनुसचिवीय
5.	वेतनमान	7वें सीपीसी के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में लेवल-8 (रु.56100-177500) (संशोधन पूर्व) वेतनमान 5 वें सीपीसी के अनुसार रु. 6500-200-10500)
6.	पद के लिए अपेक्षित पात्रता	केंद्र सरकार के अधिकारी:- 1. (i) नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; **अथवा** (ii) 5500-9000 रुपये (संशोधन पूर्व) के वेतनमान में तीन वर्ष की नियमित सेवा के साथ तदनुरूपी ग्रेड वेतन 4200 रुपये, लेवल-06 या समकक्ष; **अथवा** (iii) 5000-8000 रुपये (संशोधन पूर्व) के वेतनमान में छः वर्ष की नियमित सेवा के साथ तदनुरूपी ग्रेड वेतन 4200 रुपये, लेवल-06 या समकक्ष; **अथवा** (iv) 4500-7000 रुपये (संशोधन पूर्व) के वेतनमान में आठ वर्ष की नियमित सेवा के साथ तदनुरूपी ग्रेड वेतन 2800 रुपये, लेवल-05 या समकक्ष; **और** निम्नलिखित अर्हता रखते हैं:- 2. (i) केंद्र सरकार के किसी भी लेखा विभाग संगठन द्वारा आयोजित अधीनस्थ लेखा सेवा या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो। (ii)सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान में रोकड़ और लेखा कार्य में प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो तथा रोकड़ और लेखा कार्य में अनुभव रखते हों। टिप्पणी-1 प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, सामान्यतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पणी-2 फीडर श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो सीधी पंक्ति में पदोन्नति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त अधिकारी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।
7.	आयु	आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तिथि तक 56 वर्ष की आयु से अधिक न हो।

*****

हस्ताक्षरित

अनुलग्नक – II

केंद्रीय संचार ब्यूरो में सहायक लेखा अधिकारी के पद के लिए आवेदन
(बायोडाटा/जीवन-वृत्त प्रपत्र)

1	नाम और पता (बड़े अक्षरों में)	
2	जन्म की तारीख (ईसवी सन में)	
3	i) सेवा में प्रवेश की तिथि	
	ii) केंद्र/राज्य सरकार के नियमों के तहत सेवानिवृत्ति की तिथि	
4	शैक्षिक अर्हताएँ	
5	क्या पद के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ पूरी हैं। **(यदि किसी अर्हता को नियमों में निर्धारित एक के समतुल्य माना गया है, तो इसका आधार बताएँ)**	
	विज्ञापन/रिक्ति परिपत्र में उल्लिखित अपेक्षित अर्हताएँ/अनुभव	**अधिकारी की योग्यता/अनुभव**
	अनिवार्य	**अनिवार्य**
	1. अर्हता	1. अर्हता
	2. अनुभव	ख) अनुभव
	वांछनीय	**वांछनीय**
	1. अर्हता	क)अर्हता
	2. अनुभव	ख)अनुभव
5.1	**टिप्पणी:-** रोजगार समाचारपत्र में परिपत्र जारी करने और विज्ञापन जारी करने के समय प्रशासनिक **मंत्रालय/विभाग/कार्यालय द्वारा** भर्ती नियमों में उल्लिखित अनिवार्य और वांछनीय अर्हताओं को इंगित करने के लिए इस कॉलम को बढ़ाया जाना चाहिए।	
5.2	स्नातक और स्नातकोत्तर अर्हता के मामले में वैकल्पिक/मुख्य विषयों और सहायक विषयों को **अभ्यर्थी द्वारा** इंगित किया जाए।	
6	कृपया स्पष्ट रूप से बताएँ कि क्या आपके द्वारा ऊपर की गई प्रविष्टियों के आलोक में, आप इस पद के लिए अनिवार्य आवश्यक अर्हताओं और कार्य अनुभव को पूरा करते हैं।	
6.1	**टिप्पणी:** आदाता विभागों को आवेदित पद के संदर्भ में अभ्यर्थी की प्रासंगिक अनिवार्य अर्हता/कार्य अनुभव (जैसा कि बायोडाटा में दर्शाया गया है) की पुष्टि करते हुए अपनी विशेष टिप्पणियाँ/विचार प्रदान करने होंगे।	

7. कालानुक्रमिक क्रम में रोजगार का विवरण। यदि नीचे दिया गया स्थान अपर्याप्त है, तो अपने हस्ताक्षर द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित एक अलग पत्रक संलग्न करें।

कार्यालय/संस्था	नियमित आधार पर धारित पद	से	तक	*नियमित आधार पर धारित पद के वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान	आवेदित पद के लिए अपेक्षित अनुभव का उल्लेख करते हुए कर्तव्यों की प्रकृति (विस्तार से)

* **महत्वपूर्ण:** एसीपी/एमएसीपी के तहत स्वीकृत वेतन-बैंड और ग्रेड पे अधिकारी के लिए व्यक्तिगत होता है और इसलिए, इसका उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। केवल नियमित आधार पर धारित पदों का वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान का उल्लेख किया जाना चाहिए। अभ्यर्थी द्वारा ऐसे लाभ प्राप्त करने के मामले में वर्तमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन के साथ एसीपी/एमएसीपी का विवरण निम्न रूप में इंगित किया जा सकता है;

कार्यालय/संस्था	वेतन, वेतन बैंड और एसीपी/एमएसीपी योजना के तहत लिया ग्रेड वेतन	से	तक

8	वर्तमान रोजगार की प्रकृति अर्थात तदर्थ अथवा अस्थायी अथवा स्थायीवत			
9	यदि वर्तमान रोजगार प्रतिनियुक्ति/अनुबंध आधार पर धारित है, तो कृपया बताएँ -			
	क) आरंभिक नियुक्ति की तारीख।	ख) प्रतिनियुक्ति/अनुबंध पर नियुक्ति की अवधि।	ग) मूल कार्यालय/संगठन का नाम जिससे आवेदक संबंधित है।	घ) मूल संगठन की मूल क्षमता में धारित पद का नाम और वेतन

हर्ष

9.1	टिप्पणी: पहले से ही प्रतिनियुक्ति पर तैनात अधिकारियों के मामले में, ऐसे अधिकारियों के आवेदन संवर्ग अनापत्ति, सतर्कता अनापत्ति और सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र के साथ मूल संवर्ग/विभाग द्वारा अग्रेषित किए जाने चाहिए।	
9.2	टिप्पणी: यदि कोई व्यक्ति संवर्ग/संगठन से बाहर प्रतिनियुक्ति आधार पर पद धारण किए हुए है किन्तु अपने मूल संवर्ग/संगठन में अभी भी अपना धारणाधिकार (लियन) बनाए हुए है, ऐसे सभी मामलों में उपर्युक्त कॉलम 9 (ग) और (घ) के तहत अनिवार्य रूप से सूचना दी जानी चाहिए।	
10	यदि आवेदक ने पूर्व में प्रतिनियुक्ति पर कोई पद धारण किया हो, पूर्व की प्रतिनियुक्ति से वापसी की तारीख और अन्य विवरण।	
11	वर्तमान रोजगार के बारे में अतिरिक्त विवरण: कृपया बताएं कि क्या आप किसके अधीन काम कर रहे हैं (संबंधित कॉलम के सामने अपने नियोक्ता का नाम दर्शाएँ):-	

a) केंद्र सरकार:	
b) राज्य सरकार:	
c) स्वायत्त संगठन:	
d) सरकारी उपक्रम:	
e) विश्वविद्यालय:	
f) अन्य:	

12	कृपया दर्शाएं क्या आप उसी विभाग में कार्य कर रहे हैं और फीडर ग्रेड में हैं या फीडर के फीडर ग्रेड में हैं?	
13	क्या आप वेतन के संशोधित वेतनमान में हैं? यदि हाँ, तो संशोधन की तिथि बताएं और साथ ही पूर्व- संशोधित वेतनमान भी दर्शाएं।	
14	इस समय आहरित कुल परिलब्धियाँ प्रति माह	

पे बैंड में मूल वेतन	ग्रेड पे	पे बैंड में मूल वेतन

15 यदि आवेदक ऐसे संगठन से जुड़ा है जो केंद्र सरकार के वेतनमानों का अनुसरण नहीं करता है, निम्नलिखित ब्योरा दर्शाते हुए संगठन द्वारा जारी की गई नवीनतम वेतन पर्ची संलग्न करें।

वेतनमान के साथ मूल वेतन और वेतन वृद्धि की दर	महंगाई वेतन/ अंतरिम राहत/ अन्य भत्ते आदि, (विवरण सहित ब्योरा)	कुल परिलब्धियाँ

हर्षित

110

16	क) इस पद हेतु आपकी पात्रता के समर्थन में पद से संबंधित **अतिरिक्त सूचना**, यदि कोई हो। (इसमें अन्य बातों के अलावा (i) अतिरिक्त शैक्षिक अर्हताएं (ii) व्यावसायिक प्रशिक्षण और (iii) रिक्ति परिपत्र/ विज्ञापन में विहित से बढ़कर कार्य अनुभव के संबंध में सूचना उपलब्ध कराएं। **(टिप्पणी: यदि जगह अपर्याप्त हो, तो एक अलग पत्रक संलग्न करें।)**	
	ख) **उपलब्धियां:** अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि इस संबंध में सूचना उपलब्ध कराएं: i. अनुसंधान प्रकाशन एवं रिपोर्ट एवं विशेष परियोजनाएं ii. पुरस्कार/अध्येतावृत्ति/आधिकारिक सराहना iii. संव्यावसायिक निकायों/ संस्थानों/समितियों के साथ संबंधन iv. स्वयं के नाम से पंजीकृत या संगठन के लिए प्राप्त पेटेंट v. कोई अनुसंधान/ अभिनव उपाय जिसमें आधिकारिक मान्यता शामिल है vi. कोई अन्य जानकारी। **(टिप्पणी: यदि जगह अपर्याप्त हो, तो कृपया अलग शीट संलग्न करें।)**	
17	कृपया उल्लेख करें कि क्या आप प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी)/ आमेलन/पुनर्नियोजन आधार पर (#) आवेदन कर रहे हैं? (केवल केंद्र/ राज्य सरकारों के अंतर्गत कार्यरत अधिकारी "आमेलन" हेतु पात्र है। गैर सरकारी संगठनों के आवेदक केवल अल्पकालिक अनुबंध हेतु पात्र है।)	
	# ('एसटीसी'/ 'आमेलन'/'पुनर्नियोजन' का विकल्प केवल तभी उपलब्ध है जब रिक्ति परिपत्र में विशेष रूप से यह उल्लेख किया गया हो कि नियुक्ति "एसटीसी" अथवा "आमेलन" अथवा "पुनर्नियोजन" द्वारा होगी।)	
18	क्या आप अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति से हैं?	

मैंने रिक्ति परिपत्र/विज्ञापन ध्यानपूर्वक पढ़ा है और मुझे इसकी पूरी जानकारी है कि मेरे द्वारा अनिवार्य शैक्षिक अर्हता/ कार्य अनुभव से संबंधित दस्तावेजों द्वारा पुष्टि करते हुए जीवन-वृत में प्रस्तुत की गई जानकारी का चयन समिति द्वारा पद के चयन के समय मूल्यांकन किया जाएगा। मेरे द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी/विवरण मेरी जानकारी के अनुसार सही एवं सत्य हैं तथा मेरे चयन को प्रभावित करने वाले किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया/दबाया नहीं गया है।

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

पता________________

____

दिनांक:________________

नोट:-

1. यदि किसी अधिकारी पर मामूली जुर्माना लगाया गया है, तो सजा की अवधि के बाद सामान्यतः 3 वर्ष की अवधि के लिए सतर्कता मंजूरी नहीं दी जाएगी। बड़ी सजा लगाए जाने की स्थिति में, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 14.12.2007 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 11012/11/2007-स्था. (ए) के अनुसार सजा की अवधि के बाद सामान्यतः 5 वर्ष की अवधि के लिए सतर्कता मंजूरी नहीं दी जाएगी।

2. उन अधिकारियों के संबंध में आवेदन अग्रेषित करते समय, जो शीघ्र ही अपनी "कूलिंग-ऑफ" अवधि पूरी करने वाले हैं, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 4.1.2013 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 2/1/2012-स्था. (वेतन ।।) के अनुसार दिए गए निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए।

3. उम्मीदवारों द्वारा दावा की गई योग्यता और अनुभव के समर्थन में प्रमाण-पत्रों/दस्तावेजों के साथ पूरा न किए गए आवेदन/सीवी को चयन के लिए उम्मीदवारों की पात्रता निर्धारित करने के लिए संसाधित नहीं किया जाएगा।

4. सभी तरह से पूर्ण आवेदन पत्र प्रकाशन की तिथि से दो महीने (60 दिन) के भीतर इस कार्यालय में पहुंच जाने चाहिए।

5. आवेदकों की पात्रता निर्धारित करने की निर्णायक तिथि रोजगार समाचार में रिक्ति/पद के प्रकाशन की पहली तिथि को छोड़कर गिनी जाएगी।

6. प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

7. उम्मीदवारों के आवेदन केवल उनके नियोक्ता के माध्यम से भेजे जाने चाहिए और उचित माध्यम से नहीं भेजे गए ऐसे आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा और इस संबंध में कोई संचार नहीं किया जाएगा।

हर्षित

(हर्षित नारंग)
उप निदेशक (प्रशासन)
दूरभाष: 24369533